बिहार सरकार
(शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

संचिका सं. 11/नियमावली 01–02/2023 (अंश)......................... पटना, दिनांक–.....................

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांन्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) संशोधन नियमावली, 2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के "परन्तुक" के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए–बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2023 में संशोधन करते हैं तथा निम्नलिखित नियमावली अधिसूचित करते हैं :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः– (1) यह नियमावली " बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) संशोधन नियमावली, 2024" कही जाएगी।**

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2023 के नियम–2 के उप नियम–(xx) "प्रधान शिक्षक" का विलोपन।**– बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2023 के नियम–2 के उप नियम–(xx) "प्रधान शिक्षक" को विलोपित किया जाता है।

3. **बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2023 के नियम–7 के उप नियम–(vi) का प्रतिस्थापन।**– बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2023 के नियम–7 के उप नियम–(vi) का निम्नलिखित से

प्रतिस्थापन होगाः– "(vi) कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम 5 (पांच) बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।

4. **बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम–13 के बाद निम्नलिखित नियम–13क (फिटमेंट मैट्रिक्स) का अंतःस्थापन।**– बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम–13 के बाद निम्नलिखित नए नियम–13क (फिटमेंट मैट्रिक्स) के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगाः–

"13क (फिटमेंट मैट्रिक्स):– इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक–क के अनुसार होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति को इंगित करता है।

5. **बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम–13क के बाद निम्नलिखित नियम–13ख (प्रोन्नति) का अंतःस्थापन।**– बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम–13क के बाद निम्नलिखित नए नियम–13ख (प्रोन्नति) के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगाः–

"**13ख (प्रोन्नति)**:–(1) विद्यालय अध्यापक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगेः–

क्र० सं०	**विद्यालय अध्यापक की श्रेणी**	**प्रोन्नति के लिए विद्यालय अध्यापक की अगली श्रेणी**	**प्रोन्नति के लिए समय अवधि**	**अभ्युक्तियाँ**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	कक्षा I से V तक के विद्यालय अध्यापक	कक्षा VI से VIII तक के विद्यालय अध्यापक	08 वर्ष	उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार
2.	कक्षा VI से VIII तक के विद्यालय अध्यापक	कक्षा VI से VIII तक के वरीय विद्यालय अध्यापक	08 वर्ष	स्वस्थानिक उत्क्रमण
3.	कक्षा IX से X तक के विद्यालय अध्यापक	कक्षा XI से XII तक के विद्यालय अध्यापक	08 वर्ष	उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार
4.	कक्षा XI से XII तक के विद्यालय अध्यापक	कक्षा XI से XII तक के वरीय विद्यालय अध्यापक	08 वर्ष	स्वस्थानिक उत्क्रमण

(2) अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी एवं विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा, सभी प्रोन्नति, विभाग की तत्समय प्रवृत्त नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी।''

6. "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023" के नियम–14 का प्रतिस्थापनः– "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023" के नियम–14 (अनुशासनिक कार्रवाई) का निम्नलिखित से प्रतिस्थापन होगा :–

"14. अनुशासनिक कार्रवाई :–

14.1 विद्यालय अध्यापक अवचार या कदाचार के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे।

14.2 विशेष रूप से, नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में एक विद्यालय अध्यापक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगाः–

क. कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति;

ख. जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता;

ग. विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना;

घ. वित्तीय अनियमितता के मामले;

ङ. सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव;

च. किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना;

छ. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन;

ज. कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे;

झ. नियम–17 का उल्लंघन (आचार संहिता);

14.3 **समझा गया निलंबन** :– कोई भी विद्यालय अध्यापक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक/पुलिस/सिविल अभिरक्षा में रहा है, उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा।

14.4 अनुशासनिक प्राधिकार, दोषी विद्यालय अध्यापक पर निम्नलिखित दंड अधिरोपित कर सकेगा।

क. **वृहद् दंड–**

i. बर्खास्तगी
ii. अनिवार्य सेवानिवृत्ति
iii. निचले पद पर पदावनति
iv. कम वेतनमान में पदावनति
v. संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि (वेतन वृद्धियों) को रोकना

ख. **लघु दंड–**

i. निन्दन
ii. निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा
iii. वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक न हो
iv. गैर–संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियों) को रोकना
v. प्रोन्नति रोकना

14.5 **विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया** :– अनुशासनिक प्राधिकार, आरोपित विद्यालय अध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह तय करेगा कि क्या रिपोर्ट के आधार पर, वृहद् दंड या लघु दंड का प्रथमदृष्टया मामला बनता है। इस प्रयोजन के लिए, अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विशिष्ट शिक्षक से 7 दिन का समय देते हुए एक कारण पृच्छा पूछ सकता है कि उसके विरूद्ध वृहद्/लघु दंड अधिरोपित करने के लिए, जैसा भी मामला हो, कार्यवाही क्यों नहीं प्रारंभ की जाय। उत्तर प्राप्त होने के बाद अनुशासनिक प्राधिकार यह तय करेगा कि वृहद् दंड कार्रवाई या लघु दंड कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना है या मामले को बंद करना है। यदि आरोपित विद्यालय अध्यापक ऐसी दो सूचनाओं का उत्तर नहीं देता है, तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले को एकपक्षीय रूप से तय करने के लिए सक्षम होगा। यदि अनुशासनिक प्राधिकार

वृहद् या लघु दंड के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने का विकल्प चुनता है तो इन नियमों में उल्लिखित आगे की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

14.5.1 **निलंबन** :— उपर्युक्त वर्णित कारणों से अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करते समय, अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विद्यालय अध्यापक को निलंबन पर रख सकता है। परंतु अनुशासनिक प्राधिकार आरोपित विद्यालय अध्यापक को निलंबन के अधीन रखने से पूर्व, कारण पृच्छा करेगा। निलंबन की अवधि के दौरान, उक्त शिक्षक मूल वेतन और मंहगाई भत्ते के 50% के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता का हकदार होगा।

14.6 वृहद् दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया :—

14.6.1 जब भी अनुशासनिक प्राधिकार के पास यह विश्वास करने का आधार हो कि विद्यालय अध्यापक ने इस नियमावली में विहित किसी नियम के विरूद्ध कोई कार्य किया है अथवा नियमानुसार कार्य नहीं किया है तो वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी /कर्मी से दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के साथ एक मसौदा अरोप–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा। इसके बाद, अनुशासनिक प्राधिकार एक जाँच पदाधिकारी नियुक्त करेगा जो अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन करेगा। जाँच पदाधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा और आरोपित विद्यालय अध्यापक को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। जाँच पदाधिकारी ऐसे कागजात/ दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगा जो कार्यालय के पास उपलब्ध हो। जाँच पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही दो महीने के अन्दर पूरी कर लेगा। यदि आरोपित विद्यालय अध्यापक दो तिथियों पर जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो जाँच पदाधिकारी, उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, एकपक्षीय प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए सक्षम होगा।

14.6.2 विभागीय कार्यवाही पूरी होने के बाद जाँच पदाधिकारी एक जांच प्रतिवेदन समर्पित करेगा और उसे आगे की कार्रवाई के लिए अनुशासनिक प्राधिकार को भेजेगा।

14.6.3 अनुशासनिक प्राधिकार अपने पास उपलब्ध पदाधिकारियों में से एक जाँच पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगा या जिला पदाधिकारी से जिले में उपलब्ध पदाधिकारियों से इसे नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा।

14.6.4 अनुशासनिक प्राधिकार जाँच पदाधिकारी के समक्ष विभाग के मामले को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्तुतकर्त्ता पदाधिकारी भी नियुक्त करेगा। ऐसा प्रस्तुतकर्त्ता पदाधिकारी विभाग के प्रखंड स्तर के कर्मचारियों में से हो सकता है। वैकल्पिक रूप से, वह जिला पदाधिकारी से अन्य विभागों के प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों से प्रस्तुतकर्त्ता पदाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा।

14.7 **लघु दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया** :– जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार की राय में, मामला मामूली दंड अधिरोपित करने के लिए उपयुक्त है, वहां वह आरोपित विद्यालय अध्यापक को पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय देते हुए कारण पृच्छा करेगा कि क्यों नहीं उस पर विशेष लघु दंड अधिरोपित किया जाए। आरोपित विद्यालय अध्यापक से उत्तर प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकार उस विशेष लघु दंड को अधिरोपित कर सकेगा।

14.8 **काम नहीं वेतन नहीं नियम** :– जहाँ जिले के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग द्वारा निरीक्षण करने पर, विद्यालय का कोई विद्यालय अध्यापक या कर्मचारी उचित अनुमोदन के बिना अनुपस्थित पाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे अनुपस्थित के वेतन को तुरंत रोक दे। इसके बाद, 7 दिनों का समय देकर अनुपस्थित से कारण बताओ पूछा जाएगा और यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता है, तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए अनुपस्थित के वेतन की कटौती की जाएगी।

7. **बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम–14क (अपील) का अंतःस्थापन।**– बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम–14 के बाद निम्नलिखित नए नियम–14क (अपील) के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगाः–

"**14क. अपील** :– अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित कोई भी आदेश, आदेश पारित करने के 15 दिनों के अन्दर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के समक्ष अपील योग्य होगा। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक 30 दिनों के अन्दर अपील का निष्पादन करेगा। परन्तु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्त्ता की सुनवाई करेगा।

8. **"बिहार विद्यालय विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023" में एक नया नियम–14ख (पुनरीक्षण) का अंतःस्थापन।**– बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम–14क के बाद निम्नलिखित नए नियम–14ख (पुनरीक्षण) के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगाः–

"**14.ख. पुनरीक्षण** :– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध एक पुनरीक्षण, प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष होगा। पुनरीक्षण, अपील के निष्पादन के 15 दिनों के अन्दर दायर किया जाना चाहिए तथा प्रमंडलीय आयुक्त 30 दिनों के अन्दर इसका निष्पादन करेंगे।

9. **बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम–16 (अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति) का प्रतिस्थापन।**– बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम–16 (अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति) का निम्नलिखित से प्रतिस्थापना होगाः–

"**16. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तिः**– अनुकम्पा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा उर्त्तीण करने के अधीन होगा। इसके

अलावा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति विभाग की तत्समय प्रवृत्त नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता एवं रिक्ति के अधीन होगी।''

10. **बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम–18 (शिकायत एवं अपील) का विलोपन**।– बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम–18 (शिकायत एवं अपील) को विलोपित किया जाता है।

11. **बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम–19 के उप–नियम (ii) की प्रतिस्थापना**:– बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 के नियम--19 के उप–नियम (ii) का निम्नलिखित से प्रतिस्थापन होगा।–

''(ii) इन नियमों के तहत प्रावधान के अनुसार या न्यायिक आदेशों के अनुपालन के अतिरिक्त विद्यालय अध्यापकों के पद पर कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(के0के0 पाठक)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :–11/नियमावली 01–02/2023 (अंश) .... पटना, दिनांक ....

<u>प्रतिलिपि</u>:–मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव, बिहार/सभी सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग /सभी निदेशक, पंचायतीराज विभाग/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पंचायतीराज विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं

कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी जिला पंचायतीराज पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–11/नियमावली 01–02/2023 (अंश) -786

पटना, दिनांक 15/03/2024

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

अनुलग्नक—क

फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल						
विद्यालय अध्यापकों की श्रेणी / प्रविष्टि भुगतान	I - V	VI-VIII	वरीय VI-VIII	IX-X	XI-XII	वरीय XI-XII
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	25000	28000	30000	31000	32000	34000
2	25750	28840	30900	31930	32960	35020
3	26520	29700	31830	32890	33950	36070
4	27320	30600	32780	33870	34970	37150
5	28140	31510	33760	34890	36020	38270
6	28980	32460	34770	35940	37100	39410
7	29850	33430	35810	37020	38210	40600
8	30750	34440	36880	38130	39360	41820
9	31670	35470	37990	39270	40540	43070
10	32620	36530	39130	40450	41750	44360
11	33600	37630	40300	41660	43000	45690
12	34610	38760	41510	42910	44290	47060
13	35640	39920	42750	44200	45620	48480
14	36710	41120	44030	45520	46990	49930
15	37810	42350	45350	46890	48400	51430
16	38940	43620	46710	48300	49850	52970
17	40110	44930	48110	49750	51350	54560
18	41320	46280	49550	51240	52890	56200
19	42550	47660	51040	52770	54470	57880
20	43830	49090	52570	54360	56110	59620